

WALK-IN-INTERVIEW

मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. रायपुर

यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम के तहत प्राप्त अनुदान के माध्यम से मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना अंतर्गत स्वीकृत पदों के लिये संविदा आधार पर नियुक्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

SN	Name of Post	Total Vacant Post	Category				Essential Qualification & Experience	Age Limit	Consolidated Monthly Remuneration	Date of Interview
			UR	OBC	ST	SC				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Programme Manager (Technical)	1	1	-	-	-	1. PG degree in Health management/ MHA (Health) /MPH (all 2 years regular course) from recognized University/Institute. 2. Graduate degree must be in discipline of Medicine/AYUSH/Pharmacy/Nursing/PMHM/BPT/ Biotechnology or Health management from recognized university/Institute. Candidates other than above mentioned qualification in graduation need not to apply. 3. Must have atleast 2 year post qualification (after PG) work experience in the field of Health management.	18 to 70 years	Rs. 45000/-	30/08/2013
2	Public Relation Manager	1	1	-	-	-	PG degree in Mass Communication/ Public Relation/ Advertising/Journalism /Electronic Media (all 2 years regular course) from recognized university/Institute with 2 years post qualification relevant work experience.	18 to 70 years	Rs. 30000/-	
3	Data Analyst	1	1	-	-	-	BE/B. Tech (CS, IT) / MCA/ PG Degree in Statistics (all regular course) from UGC recognized university with 1 year post qualification relevant work experience. Knowledge of SQL Server, ASP.Net/Java and maintenance of huge database management system is desirable.	18 to 70 years	Rs.20000/-	31/08/2013
4	CHPS help desk Personnel	2	-	-	2	-	MSW/MA in Social work (2 years regular course) from UGC recognized university. Good communication skill, knowledge of computer & Chhattisgarhi language is desirable.	18 to 70 years	Rs.12000/-	

भर्ती के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश :-

- उक्त पदों के लिये पंजीयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर कार्यालय, यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम, कक्ष क्रमांक 304 से 306, तृतीय तल, लालगंगा शॉपिंग मॉल, जी.ई.रोड., रायपुर (छ.ग.) में तालिका में दर्शायी गई दिनांक को प्रातः 09:30 बजे से 11:30 बजे तक उम्मीदवार स्वयं उपस्थित होंगे। प्रातः 11:30 बजे के पश्चात् उम्मीदवार के आवेदन पत्र/अभ्यावेदन अथवा प्रस्तुत दस्तावेज पर अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन पत्र दिये गये प्रारूप (प्रारूप की प्रति संबंधित वेबसाइट www.cghealth.nic.in में संलग्न है) में प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त पदों में भर्ती हेतु पंजीयन के समय आवेदक मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल निवासी, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियां एवं मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः अपने साथ लावेंगे।
- पद क्रमांक 3 व 4 हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- जन्म तिथि हेतु 10+2 (दसवीं) के प्रमाण पत्र की अभिप्राणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु की गणना दिनांक 01.08.2013 के आधार पर की जावेगी।
- पदों का आरक्षण शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
- उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता, सूची जारी किये गए दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए वैध रहेगी।
- वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु बुलाये गये उम्मीदवारों के चयन/शार्ट लिस्टिंग हेतु आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
- अभ्यर्थी को वॉक-इन-इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- वॉक-इन-इंटरव्यू के परिणाम की सूचना केवल विभागीय वेबसाइट के माध्यम से दी जावेगी।
- संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ को यह अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताएं किसी या समस्त आवेदनों को अमान्य अथवा निरस्त कर सकते हैं। तथा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को भी निरस्त कर सकते हैं।
- किसी भी स्तर से व्यक्तिगत संपर्क अथवा दबाव डलवाने पर आवेदक को अपात्र घोषित किया जा सकता है।
- उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.का होगा। साक्षात्कार होने के उपरांत उर्पयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने की दशा में भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. के पास सुरक्षित है।
- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य नोडल एजेंसी में संविदा सेवा शर्तों के अधीन मार्च 2014 तक के लिए होगी तथा परियोजना अवधि के बढ़ने तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
- राज्य नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री बाल-हृदय सुरक्षा योजना के द्वारा संजीवनी योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना आदि का दायित्व/अतिरिक्त दायित्व दिये जाने पर उसका निर्वहन करना अनिवार्य होगा।

राज्य नोडल अधिकारी (ईसीएसपीपी)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (छ.ग.)